रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 1970/पौष 17, 1891

No. 3] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 1970/PAUSA 17, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January 1970

G.S.R. 72.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Punjab Legislative Council (Abolition) Act, 1969 (46 of 1969), the Central Government hereby appoints the 7th day of January, 1970, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. F. 7(9)/69-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD,
Jt. Secy. & Legislative Counsel.

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1970

सा० का० नि० 72:—पंजाब विधान परिषद् (उत्पादन) अधिनियम, 1969 (1969 का 46) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार जनवरी 1970 का 7वां दिन, ऐसी तारीख के रूप में एतद् द्वारा नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं० फा० 7(9)/69-वि० II]

एम० डी० पी० नम्बूदिरीपाद,

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970